72 को मिलेगी नौकरी | विभाग के प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त को दिया निर्देश, जरूरत के हिसाब से संविदा पर करें बहाली

अवैध भवनों पर रोक के लिए वार्ड अफसर

भास्कर न्यूज | पटना

शहर में अवैध भवनों का निर्माण नहीं हो, इसके लिए नगर निगम हर वार्ड में एक वार्ड अफसर तैनात करेगा। बिल्डिंग निर्माण के बाद मामला आगे न बढ़े, इसके पहले ही उस पर कार्रवाई करते हुए निर्माण पर रोक लगाई जाएगी और नियमानुसार भवन निर्माण का आदेश दिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में नगर आयुक्त को निर्देश दिया है।

जांच में आ रही बाधा

नगर निगम में पदाधिकारी-कर्मचारियों की काफी कमी है। इससे अवैध निर्माण पर रोक और उसकी जांच में परेशानी आ रही है। अन्य काम भी बाधित हो रहे हैं। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि जब तक स्थायी रूप से निगम में नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं शुरू हो जाती है, तब तक जरूरत के हिसाब से संविदा पर बहाल कर काम को पूरा कराएं।

वार्ड अफसर कैसे करेंगे काम

नगर निगम में 72 वार्ड हैं। यानी 72 वार्ड अफसर तैनात होंगे। वे वार्ड में घूम-घूम कर भवन निर्माण को देखें। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि कहीं अवैध निर्माण हो रहा है, तो उसकी जानकारी नगर निगम को देंगे। नगर आयुक्त को जानकारी मिलने के बाद तत्काल भवन के निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम में खाली हैं 3776 पद

निगम में 5874 पद स्वीकृत हैं, जबकि इसमें 3776 पद खाली पड़े हैं। 2098 कार्य बल से निगम का पूरा काम चल रहा है। पदाधिकारियों व कर्मचारियों की कमी की वजह से एक-एक पदाधिकारी को तीन से चार कार्यों का पदभार देखना पड़ रहा है। हाल यह है कि एक पदाधिकारी प्राथमिकता तय कर काम को पूरा करना चाहता है तो फिर दूसरा काम छूट जाता है। निगम का मूल काम साफ सफाई का है, लेकिन इसके लिए अलग से मुख्यालय में पदाधिकारी नहीं है।

पदाधिकारियों की कमी की एक बानगी

नगर निगम मुख्यालय में प्रभु राम अपर नगर आयुक्त के पद पर हैं। अपर नगर आयुक्त के तीन पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ एक कार्यरत हैं। दो अपर नगर आयुक्त का कार्यभार प्रभु राम संभाल रहे हैं। वे अपर नगर आयुक्त स्थापना से लेकर राजस्व, विधि और सफाई का पदभार देख रहे हैं। भूसंपदा पदाधिकारी आरती नगर सचिव के साथ योजना पदाधिकारी के अतिरिक्त पदभार में हैं। ओएसडी एससी दिवाकर ई गवर्नेंस के नोडल पदाधिकारी के साथ-साथ जनसंपर्क पदाधिकारी का भी काम कर रहे हैं।

वर्क लोड की परेशानी पहले से

अपर नगर आयुक्त प्रभु राम अधिक कार्य बोझ को कम करने के लिए कुछ दिनों पहले नगर आयुक्त से अनुरोध कर चुके हैं। लेकिन निगम में अपर नगर आयुक्त के स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत बल नहीं होने के कारण अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। अब अपर नगर आयुक्त करें भी तो क्या करें। जब तक दो और अपर नगर आयुक्त नहीं आ जाते, तब तक सफाई, राजस्व, स्थापना और विधि का कार्यभार संभालना होगा।

सूचना विभाग में भी होगी कर्मचारियों की नियुक्ति

पटना | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। पटना प्रमंडल के सभी जिलों में कर्मचारियों की रिक्तियां के निर्धारण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों के जनसंपर्क कार्यालयों से वर्तमान संख्या व योजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी कर्मचारियों की संख्या मांगी गई है। प्रमंडल स्तर पर रिक्तियों का विवरण तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। जनसंपर्क विभाग की ओर से 14 कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। पटना प्रमंडल के सूचना एवं जनसंपर्क उप निदेशक केके उपाध्याय ने सभी जिलों को पत्र भेजकर चार बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार कराकर भेजने का निर्देश दिया है।